राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**भौरी देवी बनाम अर्जुन** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/03/2018 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 32, 33, 34, 35 कुल किता 5 कुल रकबा 4.98 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ़ धामस्या पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुये सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03/09/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर रेस्पो. के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही मृत्तक पक्षकार के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो विधिसम्मत प्रतीत नही होता है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्तियो का समुचित संज्ञान लिये बगैर उन्हें सरसरी तौर पर ख़ारिज करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक अंकन करते हुये ही वाद में अग्रिम कार्यवाही करते हुये निर्णय व डिक्री पारित किये जाने आवश्यक होते है किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में मृत्तक पक्षकारान के वारिसो को रिकार्ड पर लेकर आपत्ति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये	1705/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भौरी देवी बनाम अर्जुन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1705/2025	

विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03/09/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृत्तक प्रतिवादी संख्या 8 के विधिक वारिसो को रिकार्ड पर लेकर उन्हें आपत्ति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, प्राप्त आपत्तियो अ निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये वाद में अग्रिम कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर